



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

दिनांक: 26 फरवरी 2026

प्रेस प्रकाशनी

सीबीएसई ने सत्र 2027-28 के लिए SARAS 7.0 संबद्धता विंडो खोली

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अधिसूचना संख्या 07/2026 दिनांक 26.02.2026 के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए विभिन्न श्रेणियों की संबद्धता हेतु आवेदन प्रस्तुति के लिए स्वचालित संबद्धता पोर्टल SARAS 7.0 खोलने की सूचना जारी की है।

इसके अतिरिक्त, सीबीएसई ने अधिसूचना संख्या 06/2026 दिनांक 25.02.2026 भी जारी की है, जो संबद्धता उपविधि, 2018 के अध्याय 3 के अंतर्गत परिशिष्ट-V (Appendix-V) में संशोधन से संबंधित है। यह संशोधन विद्यालय के निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) के संदर्भ में स्वीकृत अनुभागों (Sections) की अनुमति के बारे में है।

अधिसूचना संख्या 07/2026 के अनुसार, विद्यालयों को अपने आवेदन SARAS 7.0 मैन्युअल तथा सीबीएसई वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित संबद्धता परिपत्रों के अनुसार ही प्रस्तुत करने होंगे। सत्र 2027-28 के लिए SARAS 7.0 पर ऑनलाइन आवेदन विंडो 26 फरवरी 2026 से 31 जुलाई 2026 तक प्रमुख श्रेणियों के लिए खुली रहेगी, जिसमें मिडिल क्लास सिलेबस का अनुमोदन, सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर तक नई संबद्धता (अन्य बोर्ड से स्विच ओवर सहित), सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी स्तर तक उन्नयन, शाखा विद्यालय, संबद्धता का विस्तार एवं पुनर्स्थापन, दो शिफ्टों की अनुमति, अनुभागों में वृद्धि, अतिरिक्त विषयों की शुरुआत तथा विद्यालय बंद करना शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, भूमि में सुधार/वृद्धि/कमी, विद्यालय या सोसाइटी/ट्रस्ट/कंपनी के नाम में परिवर्तन, विद्यालय प्रबंधन इकाई की अदला-बदली, विद्यालय का एक सोसाइटी/ट्रस्ट/कंपनी से दूसरे में स्थानांतरण तथा विद्यालय स्थल परिवर्तन की अनुमति से संबंधित आवेदन पूरे वर्ष खुले रहेंगे। विदेशी/अंतरराष्ट्रीय विद्यालयों तथा सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए सभी प्रकार के आवेदन वर्षभर खुले रहेंगे।

नई संबद्धता एवं उन्नयन सहित कुछ श्रेणियों के मामलों में 100% भौतिक निरीक्षण किया जाएगा। सभी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि OASIS डेटा, अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण (Mandatory Public Disclosure) तथा शिक्षकों का विवरण सही ढंग से अद्यतन किया गया हो।

इसके अतिरिक्त, अधिसूचना संख्या 06/2026 दिनांक 25.02.2026 के अनुसार अब विद्यालय में अनुमत अधिकतम अनुभागों की संख्या विद्यालय भवन के कुल निर्मित क्षेत्र (Total Built-up Area) के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जो स्थानीय निकाय अथवा लाइसेंस प्राप्त वास्तुकार द्वारा संबद्धता उपविधियाँ, 2018 के अध्याय 3 के संशोधित परिशिष्ट-V के अनुसार प्रमाणित हो। अनुभागों की संख्या को निर्मित क्षेत्र इकाई के अनुसार 400 वर्ग मीटर तक सीमित किया जाएगा, अर्थात् इसके बाद प्रत्येक 400 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र पर 3 अनुभाग होंगे।

विद्यालयों को सलाह दी जाती है कि वे अधिसूचना संख्या 06/2026 और 07/2026 तथा उनसे संबंधित परिपत्रों में निहित जानकारी, समयसीमा, पात्रता शर्तों, आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें, ताकि संबद्धता आवेदनों की प्रक्रिया सुचारु और समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके।

विस्तृत जानकारी के लिए सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.gov.in पर उपलब्ध अधिसूचनाएँ देखें अथवा सीधे SARAS पोर्टल <https://saras.cbse.gov.in/SARAS> पर जाएँ।

हस्ता/-

सचिव, सीबीएसई



के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर-23, फेज-1, द्वारका, नई दिल्ली-110077

CBSE INTEGRATED OFFICE COMPLEX, SECTOR-23, PHASE-1, DWARKA, NEW DELHI-110077



Phone (off.) : 011-24050336-42, Website: www.cbse.gov.in